

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.
राजस्व लोक अदालत अभियान 2018-कैम्प ग्राम पंचायत डूण्डलोद

व वाद संख्या 04/2018
शांति देवी पत्नी स्व० गिरधारी
सुभाषचन्द्र
बनवारीलाल पुत्रान गिरधारी
शिशपाल पुत्र पूरनराम
मोहनीदेवी पत्नी शिशपाल
गुलझारीलाल पुत्र पूरनराम
राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र बालूराम
रणजीत
प्रदीप पुत्रान धनाराम
शंकर
नगदीश पुत्रान झाबर
संतोष पुत्नी रूघवीर
श्रवण पुत्र रूघवीर जाति समस्त मीणा निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला
झुन्झुनू

-वादीगण

बनाम

शाकंत
अशोक पुत्रान रूघवीर जाति मीणा निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
-प्रतिवादीगण

दावा: घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड एवं विभाजन
निर्णय

निर्णय दिनांक 12.06.2018

वाद वादी दिनांक 19.02.2018 को प्राथमिक को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन जरिये पत्रांक भू.अ./2017/1025 दिनांक 19.04.2018 प्रस्तुत किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प डूण्डलोद में पेश हुई। वादी व वकील पक्षकारान उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री करने में सहमति की गई। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय क ग्राम ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.न. 74/1.24, 83/0.53 किता 2 कुल रकबा 1.77 है० क खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. भूमि ख.न. 74 रकबा 0.28 है० का रणजीत प्रदीप पि० धन्नाराम जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि बडौदा राज. क्षेत्र ग्रा० बैंक शाखा डूण्डलोद के रहन दर्ज की जावे।
2. भूमि ख.न. 74/2 रकबा 0.28 है० का राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र बालूराम जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. भूमि ख.न. 74/3 रकबा 0.56 है० का सुभाषचन्द्र बनवारीलाल पि० गिरधारी हि० 5/6 शांतिदेवी पत्नी गिरधारी हि० 1/6 जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि बडौदा राज. क्षेत्र ग्रा० बैंक शाखा डूण्डलोद के रहन दर्ज की जावे।
4. भूमि ख.न. 74/4/0.03, 83/0.25 किता 2 कुल रकबा 0.28 है० का गुलझारीलाल पुत्र पूरनराम जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

17-6-18 ख.न.
ख.न. 83/1 रकबा 0.28 है० का शिशपाल पुत्र पूरनराम मोहनीदेवी पत्नी शिशपाल जाति
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
ख.न. 74/1/0.09 है० का रणजीत प्रदीप पि० धन्नाराम हि० 1/6 राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र
पूरनराम हि० 1/6 सुभाषचन्द्र बनवारीलाल पि० गिरधारी हि० 5/18 शांतिदेवी पत्नी गिरधारी हि०
1/6 गुलझारीलाल पुत्र पूरणराम हि० 1/6 शिशपाल पुत्र पूरनराम मोहनदेवी पत्नी शिशपाल
बनवारीलाल हि० 5/18 जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राहिन सुभाषचन्द्र
शुभा डूण्डलोद के रहन दर्ज की जावे।
जान बलरिया की भूमि ख.न. 46 रकबा 1.32 है० में वादीगण नं. 1 लगायत 3 का नाम हजफ
किया जाता है।

खातेदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर
लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद
जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मजमे शिविर सुनाया

(दुर्गा प्रसन्न मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ



(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम डूण्डलोद
बईजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.
दावा घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड एवं विभाजन

04/2018 (शांतिदेवी आदि बनाम शक्ति आदि)
मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0), उपखण्ड
नवलगढ बहाजिरी...वकील वादी मिनजानिब मुद्दई -वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय
हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।
दिनांक 12.06.2018 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।
प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.न. 74/1.24, 83/0.53 किता
रकबा 1.77 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-
ख.न. 74 रकबा 0.28 है0 का रणजीत प्रदीप पि0 धन्नाराम जाति मीणा को खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है। भूमि बडौदा राज. क्षेत्र ग्रा0बैंक शाखा डूण्डलोद के रहन दर्ज की जावे।
ख.न. 74/2 रकबा 0.28 है0 का राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र बालूराम जाति मीणा को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है।
ख.न. 74/3 रकबा 0.56 है0 का सुभाषचन्द्र बनवारीलाल पि0 गिरधारी हि0 5/6 शांतिदेवी पत्नी
गिरधारी हि0 1/6 जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि बडौदा राज. क्षेत्र
बैंक शाखा डूण्डलोद के रहन दर्ज की जावे।
ख.न. 74/4/0.03, 83/0.25 किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 का गुलझारीलाल पुत्र पूरनराम
जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
ख.न. 83/1 रकबा 0.28 है0 का शिशपाल पुत्र पूरनराम मोहनीदेवी पत्नी शिशपाल जाति मीणा
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
ख.न. 74/1/0.09 है0 का रणजीत प्रदीप पि0 धन्नाराम हि0 1/6 राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र
बालूराम हि0 1/6 सुभाषचन्द्र बनवारीलाल पि0 गिरधारी हि0 5/18 शांतिदेवी पत्नी गिरधारी हि0
1/18 गुलझारीलाल पुत्र पूरनराम हि0 1/6 शिशपाल पुत्र पूरनराम मोहनदेवी पत्नी शिशपाल हि0
1/6 जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राहिन सुभाषचन्द्र बनवारीलाल हि0
5/18 शांतिदेवी हि0 1/18 रणजीत प्रदीप हि0 1/6 बडौदा राज. क्षेत्र ग्रा.बैंक शाखा डूण्डलोद के
रहन दर्ज की जावे।
ग्राम बलरिया की भूमि ख.न. 46 रकबा 1.32 है0 में वादीगण नं. 1 लगायत 3 का नाम हजफ किया
जाता है।

हसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर
राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बट्टा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद
किया जावे।

मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह..
फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करे।
बसद्वारे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 12 माह 06 सन.2018. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

रूपया	पैसे	मुद्दासल	उपखण्ड अधिकारी	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प अर्जी दावा	नवलगढ	0.00	
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा		2.00	
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी		-	
महनताना वकील	-	महनताना वकील		-	
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान		-	
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर		-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा		-	
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान		0.00	